BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI.

IN

OA NO673 OF 2025

IN THE MATTER OF:

VIKASH CHANDRA RAYAL …APPLICANT

VERSUS

MOEF & CC & ORS. ..RESPONDENT(S)

S.NO	Particulars	Page No
1.	Joint committee report by respondent no. 6, District magistrate, Tehri Garwal, state of Uttarakhand in compliance of the order dated 09.01.2025	1-4
2.	Annexure A Copy of the order 24.12.2025	5-7
3.	Annexure B Copy of the Joint committee report	8-22

Dated: 17/03/2026

Adv Anjali Rajput

Counsel for State of Uttarakhand.

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI.

IN

OA NO673 OF 2025

IN THE MATTER OF:

VIKASH CHANDRA RAYAL ...APPLICANT

VERSUS

MOEF & CC & ORS. ..RESPONDENT(S)

JOINT COMITTE REPORT BY RESPONDENT NO. 6' DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARWAL, STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 09.01.2025

Most respectfully Showeth:

I, Nikita Khandelwal W/o Rahul Gupta, aged about 38 years, District Magistrate, Tehri Garwal, Uttarakhand do hereby on solemn affirmation state as under:

1. The deponent is currently posted as District Magistrate, Tehri Garwal, Government of Uttarakhand and is filing the present affidavit in compliance of the orders dated 24.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.
2. That the afore mentioned case was listed for hearing on 24.12.2025 And the Hon'ble tribunal was pleased to pass the following order:
3. That in compliance of the above directions, deponent constituted a joint committee comprising of representatives of Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun, and the Excise Commissioner, Uttarakhand, Dehradun, for Joint Inspection.

4. That a on-site inspection of "foreign liquor shop" located near Kharasrot in the Muni Ki Reti area of Tehri Garhwal district was conducted by Deputy District Magistrate Narendra Nagar, Tehri Garhwal, Additional Excise Commissioner, Headquaters and Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division ,Muni ki Reti. That the findings of the committee are as follows:
   a. The representative of the Excise Department informed that Dhalwala–Muni Ki Reti FL-5 Foreign Liquor Shop is in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Excise Act, 1910 (as applicable), Section XI of the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, 1968 as adopted by the State of Uttarakhand, and the judgment of the Hon'ble Supreme Court in *State of Tamil Nadu vs. K. Balu & Anr.*.
   b. Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division, Muni ki reti informed that, from *Kharasrot* (National Highway Bridge) to PWD *Tiraha* towards River Ganga. The area on the right side in which the liquor shop is inhabited, the said land is shown as reserved forest under Muni Ki Reti compartment number 1 of Shivpuri Raj as per Sheet No. 9 of Survey Year 1935-36 of Survey of India of the divisional records of Narendra Nagar Forest Division, Muni Ki Reti.
   c. Sub-Divisional Magistrate, Narendra Nagar, informed the Liquor is operating along the side of a ravine on the Rishikesh–Badrinath Bypass Road at Kharasrot, a village in Narendra Nagar Tehsil of Tehri Garhwal district. The land on which the liquor shop is situated is marked in the 1931 revenue map of Village Muni Ki Reti as Benaap land, belongs to the Government of Uttarakhand. The scale of the said revenue map is 63 inches to 1 mile. The road, Kharasrot drain, and the measured land near the

liquor shop are clearly indicated on the revenue map. This revenue map has been in continuous use from 1931 till present for land verification, measurement, and settlement of boundary disputes within Village Muni Ki Reti.

d. By Letter No. 466/XIIA-34 (2017–18) dated 31 July 2025, issued by the District Magistrate of Tehri Garhwal, 100 sq. m. of Benaap Land of Uttarakhand Government was allotted for a foreign liquor shop at Kharasrot, in the middle of Mauja Muni ki Reti. During inspection, it was found that the licensee had constructed a temporary structure (tin shed) over 114 sq. m., exceeding the sanctioned area of 100 sq. m. A notice dated 02.11.2025 was issued directing the licensee to remove the encroachment. The licensee subsequently removed the excess structure. At present, the liquor shop is operating from a tin shed constructed within the approved area of 100 sq. m. on the said Benaap Land Government land. The site plan is attached.

e. It is also informed that in Writ Petition No. 912 (M/B) of 2001 titled as *Surat Singh vs. State of Uttarakhand & Others*, filed before the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital, concerning the dispute regarding ownership of land in connection with mining in the Kharasrot drain located near the foreign liquor shop, the Hon'ble Division Bench, vide order dated 31.05.2002 (attached), held that the land of the said area, i.e., Munikireti (Kharasrot drain), belongs to the Revenue Department and not to the Forest Department.

That the copy of the joint inspection report is Annexed herewith as Annexure B.

5. That the deponent is a responsible government servant having the highest

regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent for the Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Dated: 17.03.2026

District Magistrate, 17/3/21

Tehri Garwal, Uttarakhand

Item No. 11 Court No. 1

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 673/2025

Vikash Chandra Rayal Applicant

Versus

MoEF &CC & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 24.12.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Brahmchari Sudhanand, Adv. for Applicant

ORDER

1. In this original application (OA), the allegation of the applicant is that respondent no.9 is operating a foreign liquor retail shop on Reserved Forest land in Muni ki Reti, District Tehri Garhwal, Uttarakhand.

2. The applicant submits that the liquor shop is operating encroaching upon the reserved forest land in violation of the Section 2 of the Forest Conservation Act, 1980. Learned Counsel for the applicant submits that though the license was issued to the respondent no.9 for Dhalwala area but the respondent no.9 has set up the retail liquor shop in Muni Ki Reti and the area which was allotted to him was 100 square meters but he has encroached upon another 114 square meters of the area.

3. He has further referred to the joint inspection report, Annexure-A9 (page 67) wherein the Forest Department had found as under:

> "2. वन विभाग - वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती के अनुसार प्रभागीय अभिलेख के सर्वे ऑफ इण्डिया की सीट संख्या -9 सर्वे वर्ष-1935-36 के अनुसार खारास्त्रोत (राष्ट्रीय राजमार्ग पुल) से गंगा नदी की ओर PWD तिराहा तक दांये ओर का क्षेत्र जिस में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान एवं आबादी क्षेत्र स्थित है, उक्त भूमि आरक्षित वन क्षेत्र शिवपुरी राजि के मुनिकीरेती क०सं०-1 के अन्तर्गत आता है।"

4. He submits that in the joint survey it was found that the foreign liquor shop has been set up in the forest area. He has also relied upon the RTI information, Annexure A-12 and the letter of the MoEF&CC dated 23.11.2025, Annexure A-8 and has submitted that in spite of the report and communication the respondent no.6-District Magistrate, Tehri Garhwal is not taking any action against the respondent no.9.

5. He has further referred to the ISRO map, Annexure A-14, in support of the plea that the Muni Ki Reti is in the forest area and has relied upon the decision of the Municipal Nagar Palika Parishad, Muni Ki Reti, Annexure A-15, to close the liquor shop. He submits that in spite of the said decision, no action has been taken by the respondent-District Magistrate.

6. The OA raises substantial question issue relating to compliance of the environmental norms.

7. Issue notice to the respondents.

8. The applicant is directed to serve the respondent and file affidavit of service at least 01 week before the next date of hearing.

9. In order to ascertain the correct position, we also appoint a Joint Committee comprising of the representatives of the respondent no.4-PCCF, respondent no.6- District Magistrate, Tehri Garhwal and the respondent no. 7-Commissioner, Excise Department. The District Magistrate, Tehri Garhwal will act as the nodal agency in the Joint Committee.

10. The Joint Committee will visit the site and ascertain if the respondent no.9 has opened and is operating the liquor shop by encroaching upon the forest area and will submit the status and action

taken report before the Tribunal at least 01 week before the next date of hearing.

11. List on 18.03.2026.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 24, 2025
OA No. 673/2025
AM

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 673/2025 Vikash Chandra Rayal Vs. MoEF & CC & Ors. के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या

आबकारी विभाग :— आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि दुकान की अवस्थिति जनपद के जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है। उक्त ढालवाला—मुनि की रेती एफ०एल०—5, विदेशी मदिरा दुकान उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 यथा लागू उत्तराखण्ड राज्य के Section-XI-The Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules 1968 एवं मा०उच्चतम न्यायालय के स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के०बालू एण्ड ए०एन०आर० के अनुरूप है।

वन विभाग :— खारास्रोत (राष्ट्रीय राजमार्ग पुल) से गंगा नदी की ओर पी0डब्ल्यू0डी0 तिराहे तक दांये ओर का क्षेत्र जिसमें विदेशी मदिरा की दुकान एवं आबादी क्षेत्र स्थित है, उक्त भूमि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के प्रभागीय अभिलेख के सर्वे ऑफ इण्डिया की शीट सं—9 सर्वे वर्ष 1935—36 के अनुसार शिवपुरी राजि के मुनिकीरेती कक्ष संख्या—1 के अन्तर्गत आरक्षित वन के रूप में प्रदर्शित है।

राजस्व विभाग :— जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत मौजा मुनिकीरेती मध्ये स्थान खारास्रोत में ऋषिकेश—बद्रीनाथ बाईपास मार्ग के खड्ड साईड में विदेशी मदिरा की दुकान संचालित हो रही है। विदेशी मदिरा की दुकान की भूमि मौजा मुनिकीरेती के राजस्व मानचित्र सन् 1931 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की बेनाप भूमि के रूप में अंकित है। मौजा मुनिकीरेती के उक्त राजस्व मानचित्र का पैमाना $63\frac{3}{4}$ इंच = 1 मील है। उक्त राजस्व मानचित्र में विदेशी मदिरा की दुकान के समीप स्थित सड़क, खारास्रोत नाला सरकारी भूमि व नाप भूमि स्पष्ट रूप से अंकित है। उक्त राजस्व मानचित्र सन् 1931 से वर्तमान तक उपयोग में लाया जा रहा है तथा इसी राजस्व मानचित्र की सहायता से मौजा मुनिकीरेती के अन्तर्गत भूमि की तस्दीक, पैमाईश व सीमा विवादों का निस्तारण आदि कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं।

कि जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढवाल द्वारा पत्र संख्या—466/XIIA-34 (2017-18) दिनांक नई टिहरी 31 जुलाई 2025 के द्वारा मौजा मुनिकीरेती मध्ये स्थान खारास्रोत में विदेशी मदिरा की दुकान हेतु 100 वर्ग मी0 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की बेनाप भूमि आवंटित की गयी है। विदेशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृत 100 वर्ग मी0 के सापेक्ष 114 वर्ग मी0 भूमि पर अस्थायी निर्माण (टिन शेड) करना पाया गया था, जिस पर अनुज्ञापी को स्वीकृत क्षेत्रफल से 114 वर्ग मी0 अधिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 02.11.2025 को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 से अधिक 114 वर्ग मी0 भूमि से स्वयं ही अस्थायी निर्माण (टिन शेड) को हटा दिया गया है। वर्तमान में अनुज्ञापी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की बेनाप भूमि में स्वीकृत क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 भूमि पर बने टिन शेड पर ही विदेशी मदिरा की दुकान संचालित हो रही है, जिसका नजरी नक्शा संलग्न है।

कि उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि उक्त विदेशी मदिरा की दुकान के समीप स्थित खारास्रोत नाले पर खनन के सम्बन्ध में भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद होने पर मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में दायर रिट पिटीशन

संख्या–912/M.B.2001 सूरत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड की डबल बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2002 में उक्त क्षेत्र मुनिकीरेती (खरासोत नाला) की भूमि को वन विभाग की भूमि न होकर राजस्व विभाग के होने के आदेश पारित किये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

(बी०एस० चौहान)
अपर आबकारी आयुक्त,
मुख्यालय

(दिगांथ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

S

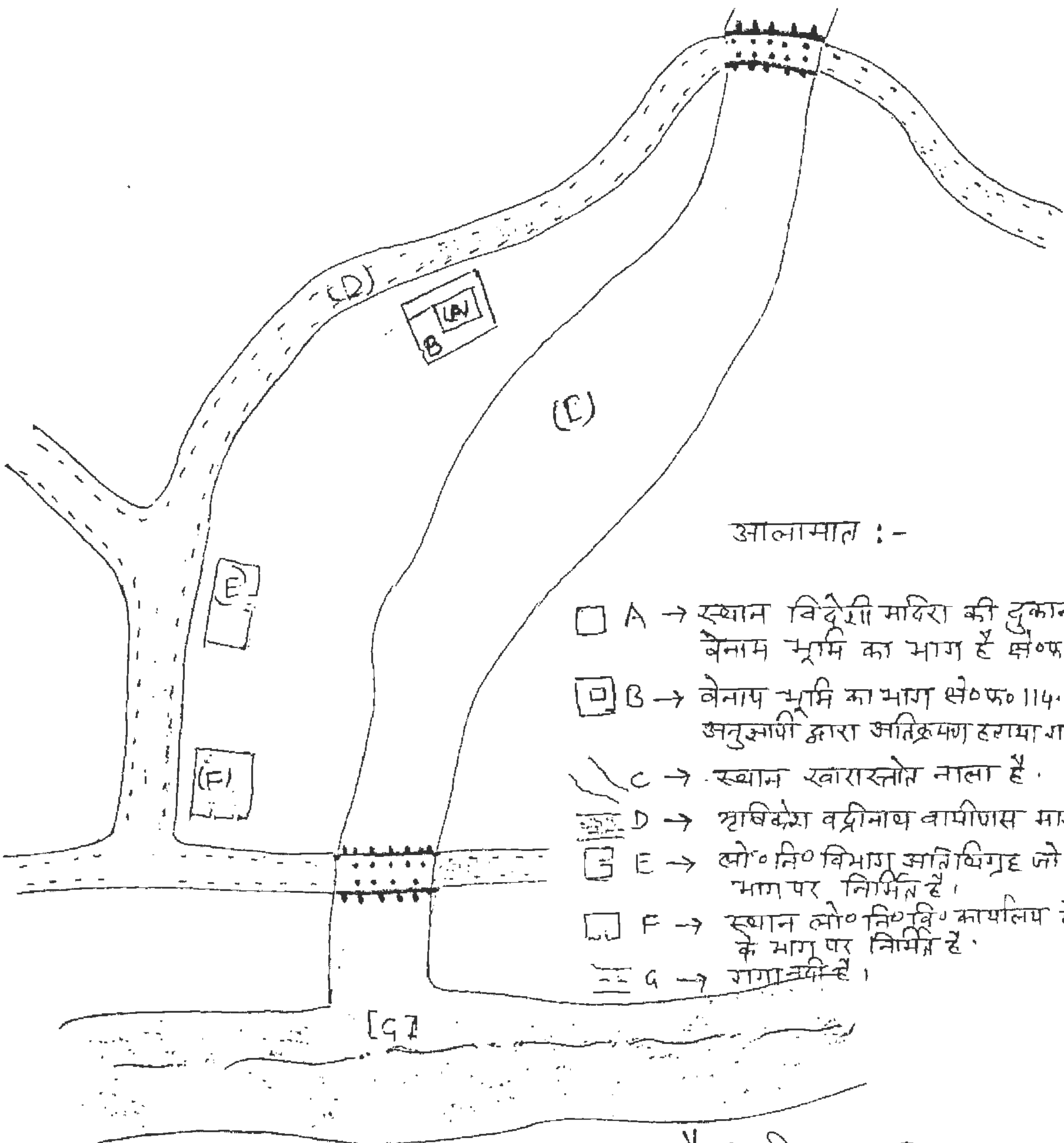

आलामात :-

A → स्थान विदेशी मदिरा की दुकान है जो बेनाम भूमि का भाग है क्षे०फ० 100 वर्ग मी० है

B → बेनाप भूमि का भाग क्षे०फ० 114.00 व०मी० है जिससे अनुज्ञापी द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है।

C → स्थान खारास्त्रोत नाला है।

D → ऋषिकेश बद्रीनाथ बाईपास मार्ग

E → लो० नि० विभाग अतिथिगृह जो बेनाप भूमि के भाग पर निर्मित है।

F → स्थान लो० नि० वि० कार्यालय है जो बेनाप भूमि के भाग पर निर्मित है।

G → गंगा नदी है।

तैयार किया,

05/03/2026

राजस्व निरीक्षक-नरेन्द्रनगर
तहसील-नरेन्द्रनगर

–:: आदेश ::–

राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश–1023/XVIII(II)/2025–E-No-55909 दिनांक 18 जून 2025 के द्वारा श्री अरविन्द सिंह रणावत निवासी ग्राम डाबरी, तहसील टिहरी, टिहरी गढ़वाल को ढालवाला में विदेशी मदिरा की दुकान के अस्थाई रूप निर्माण हेतु स्थान मुनिकीरेती मध्ये उत्तराखण्ड सरकार की 100 वर्ग मीटर बेनाप भूमि को वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 के लिए सःशुल्क लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश–1239/XVIII(II)/2025–E-No-55909 दिनांक 28 मई 2025 के द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए भी श्री अरविन्द सिंह रणावत निवासी ग्राम डाबरी, तहसील टिहरी, टिहरी गढ़वाल को ढालवाला में विदेशी मदिरा की दुकान के अस्थाई रूप निर्माण हेतु स्थान मुनिकीरेती मध्ये उत्तराखण्ड सरकार की 100 वर्ग मीटर बेनाप भूमि की सःशुल्क लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अनुज्ञापी श्री अरविन्द सिंह रणावत के द्वारा शासनादेश संख्याः–1023/XVIII(II)/2025–E-No-55909 दिनांक 18 जून 2025 के कम में वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 के लिए भूमि का निर्धारित नजराना रू0 1,81,140.00 (एक लाख, इक्कासी हजार, एक सौ चालीस रूपये मात्र) लेखा शीर्षक संख्याः–0029008000806 में ई-चालान 00290625E0051984 दिनांक 21 जून 2025 एवं शासनादेश–1239/XVIII(II)/2025–E-No-55909 दिनांक 28 मई 2025 के द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए लेखा शीर्षक संख्याः–0029008000806 में ई-चालान 00290625E0051926 दिनांक 21 जून 2025 द्वारा रू0 60,380.00 (साठ हजार, तीन सौ, अस्सी रूपये मात्र) की धनराशि जमा की गयी है।

अतः राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्याः–1023/XVIII(II)/2025–E-No-55909 दिनांक 18 जून 2025 के कम में स्थान ढ़ालवाला में विदेशी मदिरा की दुकान जो वर्तमान में स्थान मुनिकीरेती मध्ये उत्तराखण्ड सरकार की 100 वर्ग मीटर बेनाप भूमि को वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 की अवधि के लिए अनुज्ञापी श्री अरविन्द रणावत को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

01– स्थान मुनि की रेती मध्ये उत्तराखण्ड सरकार की 100 वर्ग मीटर बेनाप भूमि, में विदेशी मदिरा की दुकान के अस्थायी (टीन शेड) निर्माण के लिए दी जा रही है, जिस पर अनुज्ञापी श्री अरविन्द रणावत की द्वारा भविष्य में कोई स्थायी निर्माण कार्य नही किया जायेगा। भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में ही रहेगी।

02– भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष (विदेशी मदिरा की अस्थायी दुकान चलाने) के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की गयी है।

03– भू–उपयोग के कम में शासन/अधोहस्ताक्षरी एवं अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा कभी भी भूमि का निरीक्षण किया जा सकता है, जिस पर अनुज्ञापी को कोई भी आपत्ति नही होगी।

04– अनुज्ञापी के द्वारा इस भूमि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 यानि दिनांक 31 मार्च 2028 तक के लिए ही किया जायेगा 31 मार्च 2028 के बाद यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

05– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता जब अनुज्ञापी को नही रह जायेगी, तो भूमि निर्माण सहित मूल विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

06– इस भूमि का उपयोग विदेशी मदिरा की दुकान के अस्थायी निर्माण के लिए किया जायेगा। भूमि का उपयोग इसके इत्तर किसी अन्य कार्य के लिए नही किया जायेगा।

07– यदि प्रश्नगत भूमि का निर्धारित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जायेगा तो पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायगी।

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

क्रमशः 2

08- उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर समय-समय पर निरीक्षण करके वास्तविक स्थिति से अवगत करायेगें।

09- प्रस्तावित भूमि को बेचने/हस्तान्तरण एवं लीज पर देने का अधिकार किसी भी प्रकार से अनुज्ञापी को नही होगा।

10- अनुज्ञापी के द्वारा केवल उतनी ही भूमि पर विदेशी मदिरा की दुकान संचालित की जायेगी जितनी भूमि की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

11- बिन्दु संख्या-01 से 10 तक किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश को स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं अनुज्ञापी पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

ह0/-
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।
23.07.2025

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्याः-466/XIIA-34 (2017-18) दिनांक नई टिहरी 31, जुलाई 2025।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- सचिव, राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

02- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।

03- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

04- उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावित भूमि पर अनुज्ञापी के द्वारा स्वीकृत भूमि पर किसी भी प्रकार से स्थाई निर्माण का कार्य न किया जाये, यदि अनुज्ञापी के द्वारा प्रस्तावित भूमि पर स्थायी निर्माण कार्य किया जाना पाया गया तो इस सम्बन्ध में अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

05- जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

06- तहसीलदार, नरेन्द्रनगर।

07- अनुज्ञापी विदेशी मदिरा दुकान ढालवाला श्री अरविन्द सिंह रणायत, निवासी ग्राम डावरी, तहसील टिहरी, टिहरी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

31/07/2025
अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Civil Writ Petition No. 912(M/B) of 2001

Soorat Singh .... Petitioner

V/s

State of Uttaranchal and others .... Respondents

Hon. A.A.Desai,C.J.
Hon. Irshad Hussain,J.

Sri Mahendra Singh Pal appearing for the petitioner precisely canvassed a grievance that the land for which the lease was granted has been a forest land and as such the lease is unauthorized.

We issued notices. We have heard learned C.S.C. as well as Sri B. P Nautiyal, learned counsel for the lease holder – respondent no.5.

Learned C.S.C. made a categorical statement before us after due verification that the land in question is not forest land but the same is revenue land. In view of this statement, the grievance does not subsist. We, therefore, dispose of this petition. Consequently, the interim order dated 5. 2.2001 is hereby vacated.

Dt. 31.05.2002

A

sd/- (Irshad Hussain, J.) sd/- (A.A. Desai, C.J.)

Compared by Dufa.

PHOTOSTAT TRUE-COPY

20.11.25

Assistant Registrar (Copying)
High Court of Uttarakhand
Nainital

IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL.

****

Civil Writ Petition No. 912 (M/B) of 2001.

(Under Article 226 of The Constitution of India)

(DISTRICT TEHRI GARHWAL)

Soorat Singh Arya, s/o Sri Moti Singh Arya, Sabhasad, Nagar Palika Parishad, Narendra Nagar, District Tehri Garhwal, r/o Bakhariyana, Narendra Nagar, District Tehri Garhwal.

.. . . .PETITIONER

VERSUS

1. State of Uttaranchal, through Secretary Forest, Dehradun;
2. District Magistrate, Tehri Garhwal, District Tehri Garhwal;
3. Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division, District Tehri Garhwal,
4. Principal Secretary, Industrial Development Department, U.P. Shashan Lucknow;
5. M/s Satey Singh Bachan Singh, through its partner Satey Singh Rana, s/o Matbar Singh Rana, r/o Kailash Gate, Munikireti, District Tehri Garhwal.

. . ..RESPONDENTS

Notice No. ...... 24781...... Received ... 3/12 ... to be ... 4/12 ...

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other companion Judges of this Hon'ble High Court.

The humble application/petition of the abovenamed applicant/petitioner MOST RESPECTFULLY SHOWETH as under:-

Name of Advocate:- M.S.Pal (Sr. Adv.)
Copying Court Fees: - Rs. 36/-

Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamp	Date of the posting notice on notice board	Date of Delivery of Copy	Signature of Officer Delivery copy
12 / 19/11/2025	20/11/2025	21/11/2025	21/11/2025

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
e-Court Fee

DATE & TIME : 13-NOV-2025 23:33:28
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : LAXMI DUTT OLI
LOCATION : Nainital
e-COURT RECEIPT NO : UKCT1324K2529X325
e-COURT FEE AMOUNT : ₹36
(Rupees Thirty-Six Only)

CANCELLED

UKCT1324K2529X325

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official

Sealed in My Presence
20-11-25

(3)

IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL.

****

Civil Writ Petition No. 972 (M/B) of 2001.

(Under Article 226 of The Constitution of India)

(DISTRICT TEHRI GARHWAL)

Soorat Singh Arya, s/o Sri Moti Singh Arya, Sabhasad, Nagar Palika Parishad, Narendra Nagar, District Tehri Garhwal, r/o Bakhariyana, Narendra Nagar, District Tehri Garhwal.

........PETITIONER

VERSUS

1. State of Uttaranchal, through Secretary Forest, Dehradun;
2. District Magistrate, Tehri Garhwal, District Tehri Garhwal;
3. Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division, District Tehri Garhwal;
4. Principal Secretary, Industrial Development Department, U.P Shasnan Lucknow;
5. M/s Satey Singn Bachan Singh, through its partner Satey Singh Rana, s/o Matbar Singh Rana, r/o Kailash Gate, Munikireti, District Tehri Garhwal.

.............RESPONDENTS

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other companion Judges of this Hon'ble High Court.

The humble application/petition of the abovenamed applicant/petitioner MOST RESPECTFULLY SHOWETH as under:-

1 That the petitioner is a public spirited citizen who is a permanent resident of Narendra Nagar Tehsil of District Tehri Garhwal. The petitioner is also elected sabhasad at present, of Nagar Palika Parishad, Narendra Nagar, District Tehri Garhwal

2. That the petitioner in his capacity as a public representative considers his bounden duty to espouse the cause and grievances of the resident of his area Narendra Nagar, District Tehri Garhwal in particular and residents of Uttaranchal in general.

3. That the present writ petition is being filed by the petitioner in the representative capacity on behalf of the people of Narendra Nagar, District Tehri Garhwal in particular in particular and all residents of Uttaranchal in general against the unilateral decision taken by the Government of Uttaranchal, aforesaid respondents, particularly respondent no. 2 which has been taken in bad faith.

4 That by means of the present writ petition, the petitioner is challenging the mining lease patta allotted by respondent

to respondent no. 5 on 31.03.1986 from Munikireti, Tehsil Deoprayag, District Tehri Garhwal. This is the first writ petition against the impugned lease patta allotted by respondent no. 2 and no other writ petition has been filed earlier by the petitioner for the same relief.

5 That the area of the mining lease patta allotted by respondent no 2 on 31.03.1986 to respondent no 5 to pick up the minerals is as under

The area of the lease – Location and the area of the lease. All that tract of lands situated within the limits of notified area, Munikireti (Khasrasot Nala – Riverbed of Ganga) (Description of area or areas) 531 Nali 6 muthi in the District of Tehri Garhwal, Tehsil Deoprayag and Thana Munikireti, bearing –

Khasra No.	Area Nali – Muthi
1	112 - 14
3	11 - 8
76	407 – 0
total area	531 – 6(26.25 Acre)

and bounded as follows :-

On the North	Bithal ashram by pass road
On the South	River Ganga
On the East	Bithal ashram
On the West	Munikireti Kailash Gate

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– 159/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी. (2025–26) नई टिहरी, दिनांक, 09,जनवरी, 2026

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ)
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त आबकारी,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– NGT OA No. – 673/2025 Vikash Chandra Rayal बनाम MoEF&CC&Ors. में दिनांक–24.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–673/2025 Vikash Chandra Rayal बनाम MoEF&CC&Ors. में दिनांक– 24.12.2025 को पारित आदेश(संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि जनपद टिहरी गढवाल के स्थान मुनीकीरेती क्षेत्रान्तर्गत खारास्त्रोत में आरक्षित वन भूमि पर प्रतिवादी संख्या–09 अरविन्द सिंह रणावत द्वारा अतिकमण करके उक्त भूमि पर विदेशी शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है। प्रतिवादी सं0–09 द्वारा आरक्षित वन भूमि में अतिकमण के संबध में निरीक्षण हेतु एक संयुक्त समिति के गठन करने के आदेश पारित किये गये है। उक्त समिति में प्रमुख वन संरक्षक, देहरादून, उत्तराखण्ड, आयुक्त आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अद्योहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि सम्मिलित होगें तथा अद्योहस्ताक्षरी नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेंगे। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–673/2025 में दिनांक 24.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में आप अपना प्रतिनिधि नामित करते हुए, नामित प्रतिनिधि की सूचना प्रतिनिधि का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर सहित एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश का समयबद्ध रुप से अनुपालन हो सके।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(नितिका खण्डेलवाल) 9/1/26
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

o/c

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/समयबद्ध!

प्राप्ति दिनांक 08/01/26 टिहरी, टिहरी गढ़वाल

(A) पत्रांक सं0 ...... दिनांक 12/01/26

कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 679 /29–3(3) देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2026

ADM/oc/LBC-II

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल 08/01/26

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित **O.A. No-673/2025 Vikash Chandra Rayal Vs. MoEF & CC Ors.**

संदर्भ: मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2025 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में एक संयुक्त समिति गठित की गयी है, जिसमें जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त गठित समिति में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय की ओर से respondent No. 4 PCCF के प्रतिनिधि के रूप में **प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती** को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। आप नोडल अधिकारी एवं संबंधित सदस्यों से समन्वय स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी सूचित करें।

उक्त पत्र प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय उत्तराखण्ड के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,
(मीनाक्षी जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

पत्रांक 679 /29–3(3) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि –जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

S.NO - 326

21628

संख्याः /सात लाई०–विविध/NGT OA No-673/2025/2025–26

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

देहरादून दिनांकः जनवरी, 13 ,2026

विषयः– NGT OA No-673/2025 Vikash Chandra Rayal बनाम MoEF&CC&Ors. में दिनांक 24.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 159/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी. (2025–26) नई टिहरी, दिनांक 09, जनवरी 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत NGT OA No-673/2025 Vikash Chandra Rayal बनाम MoEF&CC&Ors. में दिनांक 24.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–673/2025 में दिनांक 24.12.2025 को पारित आदेश्ज्ञ के अनुपालन में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड की ओर से प्रतिनिधि नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तद्क्रम में अवगत कराना है कि विषगत प्रकरण में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड की ओर से श्री बी0एस0 चौहान, अपर आबकारी आयुक्त, मुख्यालय मोबाईल नम्बर–9760150000 को प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

भवदीय,

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

21629-32

संख्याः /सात लाई०–विविध/NGT OA No-673/2025/2025–26/देहरादून/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (हॉफ) उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री बी0एस0 चौहान, अपर आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रकरण मे समिति के आबकारी सदस्य के रूप में यथा आवश्यक संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के लिये कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से सम्पर्क स्थापित करें।
4. जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
27/01/26

27/01/26
DEO